मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय

क्रमॉक :500 /470/2019/चार/ब–1 भोपाल दिनांक30 जुलाई 2019

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल ।

2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
मध्यप्रदेश भोपाल ।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2019–20** – बजट आवंटन, व्यय की मासिक/त्रैमासिक कार्य योजना तथा चेक्स / देयकों के आहरण के संबंध में दिशा–निर्देश ।

संदर्भ :–
1. इस विभाग का क्रमॉक एल1–10/832/2017/ब–7/डीएमसी/चार भोपाल दिनांक 10/04/2018
2. इस विभाग का क्रमॉक 587/587/2017/ब–1/चार भोपाल दिनांक 25/05/2018
3. इस विभाग का क्रमॉक–1594/चार/ब–7/डीएमसी/2018 भोपाल दिनांक 28/12/18
4. इस विभाग का क्रमॉक एल 1–10/346/2017/ब–7/डीएमसी/चार भोपाल दिनांक 31/03/2019

000

1. संदर्भित परिपत्रों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 के प्रथम चार माह में कोषालय से आहरण की व्यवस्था के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे । मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2019 को मध्य प्रदेश विनियोग (क्रमॉक–4) विधेयक, 2019 (क्रमांक–21 सन् 2019) पारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 की शेष अवधि में उक्त निर्देशों के स्थान पर कोषालय से आहरण के लिए निम्नांकित व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

(I) <u>बजट आवंटन</u> –

2. संदर्भित परिपत्र क्रमॉक–4 की कंडिका (I) अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 के लेखानुदान द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से 31 जुलाई 2019 के लिए बजट आवंटन जारी किया गया था । वित्तीय वर्ष 2019–20 में मतदेय एवं भारित व्यय के लिए विभागवार प्रावधानित राशि का ब्यौरा बजट पुस्तकों में है। आय व्यय के संतुलन तथा मितव्ययता की दृष्टि से निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :–

(i) वित्तीय वर्ष 2019–20 में मुक्त श्रेणी के व्ययों हेतु संलग्न **<u>परिशिष्ट–1</u>** अनुसार बजट शीर्षो में प्रावधानित बजट का 100 प्रतिशत आवंटन जारी किया जाता हैं ।

(ii) परिशिष्ट–1 के अतिरिक्त राजस्व व्यय के अन्य बजट शीर्षो में प्रावधानित बजट का 80 प्रतिशत आवंटन जारी किया जाता हैं ।

(iii) इसके अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता होने पर विभाग संलग्न **<u>परिशिष्ट–2</u>** अनुसार वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजेगा ।

(II) <u>व्यय की मासिक/त्रैमासिक कार्य योजना –</u>

3. प्रशासकीय विभागों द्वारा किये जा रहे विभागीय व्ययों को निम्न दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :–

(i) सामान्य श्रेणी के व्यय (ऐसे समस्त व्यय जो 'मुक्त' श्रेणी– अद्योलिखित कण्डिका (ii) में वर्गीकृत न हो)

(ii) 'मुक्त' श्रेणी के व्यय – ऐसे व्यय जिन्हें वर्तमान में मासिक/त्रैमासिक/विशेष व्यय सीमा से मुक्त रखा गया हो ।

4. सामान्य श्रेणी के व्ययों के लिए व्यय सीमा निर्धारित करने के लिये निम्न तीन प्रकार के नियंत्रण हो सकते हैं :–

(क) मासिक व्यय सीमा

(ख) त्रैमासिक व्यय सीमा

(ग) विशेष व्यय सीमा

4.1 जब तक विशेष व्यय सीमा नियत करने संबंधी आदेश, यदि कोई हो, में अन्यथा उल्लेखित न हो, सामान्य श्रेणी के व्ययों पर मासिक एवं त्रैमासिक व्यय सीमाएं, दोनों पृथक–पृथक लागू होंगी ।

4.2 <u>मासिक व्यय सीमा –</u>

मासिक व्यय सीमा बजट नियंत्रण अधिकारी (बी.सी.ओ.) पर लागू होगा । मासिक व्यय सीमा, मुक्त श्रेणी एवं विशेष व्यय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध आवंटन को छोड़कर बजट नियंत्रण अधिकारी बीसीओ को उपलब्ध शेष वार्षिक आवंटन की 10 प्रतिशत राशि होगी । निर्धारण का आधार **<u>परिशिष्ट–3</u>** में दर्शाया गया है।

4.3 <u>त्रैमासिक व्यय सीमा –</u>

त्रैमासिक व्यय सीमा का निर्धारण, मुक्त श्रेणी एवं विशेष व्यय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध आवंटन को छोड़कर शेष वार्षिक आवंटन के आधार पर किया जायेगा । प्रथम दो त्रैमास में अधिकतम 45 प्रतिशत, प्रथम तीन त्रैमास में अधिकतम 70 प्रतिशत तथा (केवल) चतुर्थ त्रैमास हेतु अधिकतम 30 प्रतिशत व्यय सीमा निर्धारित की जाती है । निर्धारण का आधार **<u>परिशिष्ट–4</u>** में दर्शाया गया है ।

त्रैमासिक व्यय सीमा प्रत्येक बजट शीर्ष स्तर (योजना स्तर तक) पर लागू होगी ।

4.4 <u>विशेष व्यय सीमा –</u>

विशेष व्यय सीमा मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमा के स्थान पर निर्धारित की जाती है ।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के प्रथम त्रैमास हेतु पूँजीगत कार्यो के लिए विशेष व्यय सीमा **<u>परिशिष्ट–5</u>** के अनुसार होगी । उक्त विशेष व्यय सीमा मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमाओं के स्थान पर लागू मानी जाएगी, अर्थात् उल्लेखित अवधि के दौरान उल्लेखित व्यय शीर्षो पर केवल उल्लेखित व्यय सीमा लागू होंगी, मासिक एवं त्रैमासिक व्यय सीमाएं लागू नहीं होंगी ।

4.5 <u>मासिक/त्रैमासिक सीमा में परिवर्तन –</u>

अनुपूरक बजट प्रावधानों को शामिल करने के पश्चात् वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमा परिवर्तित हो सकती है ।

यदि एक बीसीओ दूसरे बीसीओ को राशि हस्तांतरित करता है, तो दूसरे बीसीओ द्वारा हस्तांतरित राशि में से किए गए व्यय को, पहले बीसीओ की मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमा के अंतर्गत माना जाएगा ।

यदि पुनर्विनियोजन द्वारा बजट शीर्षो में उपलब्ध आवंटन में परिवर्तन होता है तो उपरोक्त गणना अनुसार मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमा में परिवर्तन हो सकता है ।

5. <u>आहरण से छूट</u> –

(i) केन्द्र सहायित (केन्द्र क्षेत्रीय एवं केन्द्र प्रायोजित) योजनाओं हेतु **रूपये 100 करोड़** एवं शेष योजनाओं हेतु **रूपये 25 करोड़** से अधिक राशि के देयकों के कोषालय से आहरण के लिए वित्त विभाग से पूर्व अनुमति की आवश्यकता निर्धारित की जाती है। यह प्रावधान निर्माण कार्य विभागों/वन विभाग (WDDF/FDDF के देयकों) पर भी लागू होगा ।

(ii) सभी प्रकार के देयकों के आहरण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जायेंगी।

(iii) सभी प्रकार के आहरण में वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका / प्रत्यायोजित अधिकार (Book of Financial Powers / Delegated Powers) का अनिवार्यतः पालन किया जावे । जिन प्रकरणों में वित्तीय अधिकारों को प्रत्यायोजित नहीं किया गया है, उन समस्त प्रकरणों में वित्त विभाग से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने की पश्चात् ही देयक शासकीय कोष से आहरण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा ।

(iv) वित्त विभाग में प्रस्तुत किये जाने वाले आहरण अनुमति के प्रस्तावों में संलग्न <u>परिशिष्ट–6</u> अनुसार जानकारी प्रेषित की जाये ।

6. <u>मुक्त श्रेणी के व्यय –</u>

(i) वेतन–भत्ते–मजदूरी/न्यायालयीन डिक्री/ छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति /प्राकृतिक आपदा/ऋण अदायगी आदि अतिआवश्यक व्ययों को मुक्त श्रेणी के व्यय में सम्मिलित किया गया है। ऐसे व्ययों पर मासिक/ त्रैमासिक/विशेष व्यय सीमा लागू नहीं होगी। इस श्रेणी में सम्मिलित व्यय <u>परिशिष्ट–1</u> में दर्शायें गये है ।

(ii) इस परिपत्र की कंडिका–5, जिसके द्वारा कोषालय से देयक/चेक्स के आहरण के संबंध में सीमा निर्धारित की गई है, यह निर्देश दोनों श्रेणियों के व्यय (सामान्य एवं मुक्त श्रेणी) पर लागू होगा । केन्द्र सहायित योजनाओं हेतु रूपये 100 करोड़ तथा शेष योजनाओं हेतु रूपये 25 करोड़ की सीमा यथावत् लागू रहेंगी ।

(III) <u>सामान्य निर्देश –</u>

(i) इस बजट आवंटन आदेश से जारी होने वाला बजट IFMIS के माध्यम से बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(ii) मध्य प्रदेश वित्त संहिता भाग–1 के नियम 118 अनुसार वित्तीय वर्ष की समग्र आवश्यकता का अनुमान लगाने के पश्चात् ही उपलब्ध बजट आवंटन अनुसार सामग्री के क्रय करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।

(iii) व्यय करते समय शासन के मितव्ययता संबंधी समय–समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाये । किसी भी परिस्थिति में बजट आवंटन से अधिक कोई भी व्यय न किया जाये ।

(iv) केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं में केन्द्र से धनराशि के प्राप्ति के पश्चात् ही केन्द्रांश तथा समतुल्य राज्यांश का आहरण कोषालय से किया जाना चाहिये । इन योजनाओं की राशि सक्षम वित्तीय समिति द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत ही आहरित की जाए। जिन योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रतिपूर्ति के आधार पर राशि प्राप्त होती है, राशि व्यय होने के अधिकतम दो माह के अंदर उसकी प्रतिपूर्ति सुनिश्चित कराई जावे।

(v) बजट के कुछ शीर्षो में प्रावधान विभिन्न विकास उपकरों से होने वाली आय से निर्मित विकास एवं कल्याण निधियों से धनराशि अंतरित होने की अपेक्षा में किया गया है । ऐसे मामलों में निधियों में धनराशि अंतरित होने के उपरांत ही आवंटन विमुक्त किया जायेगा । जिन क्षेत्रों/योजनाओं पर विभिन्न निधियों से उपलब्ध धनराशि/बजट प्रावधान का व्यय किया जाना है उनमें वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमॉक– 1156/चार/ब–1 दिनांक 28.10.1983 एवं क्रमॉक – 290/चार/ब–1/86 दिनांक 20.03.1986 में निहित निर्देशों के अनुसार इस बाबत् वित्तीय स्वीकृति जारी करने के लिये आवश्यक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे जायें ।

(vi) बजट अनुमानों में अपरीक्षित मदों में रखे गये प्रावधानों के विरूद्ध व्यय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमॉक–347/आर.1703/चार/ब–1/2012 दिनांक 31.03.2017 में उल्लेखित सक्षम वित्तीय समिति के अनुमोदन के उपरांत किया जाये ।

(vii) अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आवंटित राशि आयुक्त, कोष एवं लेखा के IFMIS सर्वर पर प्रविष्ट किया जायेगा।

(viii) नाबार्ड से वित्त पोषित योजनाओं के अंतर्गत ऋण राशि प्राप्त करने हेतु व्यय के लेखे प्रत्येक माह की 20 तारीख तक प्रेषित किया जावे।

(ix) वित्त विभाग द्वारा समय–समय सीमा पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये । इस हेतु इन निर्देशों के पालन की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी ।

(x) बजट संबंधी विस्तृत मांगवार पुस्तिकाएं www.finance.mp.gov.in/ पर उपलब्ध हैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(नीरज कुमार सिंह)
संचालक बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रं 501 /470/2019/चार/ब–1 भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2019

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल ।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 म.प्र. ग्वालियर/भोपाल ।
9. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
10. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
11. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफीसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
13. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
14. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।

(रूपेश कुमार पठवार)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

परिशिष्ट–1

मुक्त श्रेणी के व्यय

	व्यय का प्रकार	बजट शीर्ष
(क)	जहॉ केन्द्रांश प्राप्त होने पर केन्द्रांश एवं राज्यांश आहरण एवं व्यय किया जाता है।	• केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (सेगमेंट कोड–701, 702 एवं 703) • केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं (सेगमेंट कोड–801, 802 एवं 803)
(ख)	छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति के सभी मद।	• उददे्श्य शीर्षः–# 41
(ग)	जहॉ अनुदान से किसी संस्था में वेतन/भत्तों/ छात्रवृत्ति / शिष्यवृत्ति का भुगतान होता हो।	• उददे्श्य शीर्षः– 42, विस्तृत शीर्ष 002 • मांग संख्या– 53 मुख्य शीर्ष–2202, योजना कंमाक–8403 उददे्श्य शीर्ष :– 42, विस्तृत शीर्षः– 009 • मांग संख्या 27, 33 एवं 40 योजना कंमाक–4396,3491,3496,2773,0581,5216 उददे्श्य शीर्ष :– 42, विस्तृत शीर्षः– 009 • मांग संख्या– 64 मुख्य शीर्ष–2202 योजना कंमाक–2669 उददे्श्य शीर्ष :– 42, विस्तृत शीर्षः– 009
(घ)	जहॉ व्यय किसी घटना पर आधारित हो (जैसे– प्राकृतिक–आपदा, आरबीसी 6(4) के तहत भुगतान, राहत राशियां इत्यादि)	• मांग संख्या–58
	अनुसूचित जाति/जनजाति निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा	• मांग संख्या–33, मुख्य शीर्ष 2225, योजना कंमाक– 5191 • मांग संख्या–49, मुख्य शीर्ष 2225, योजना कंमाक– 5191
(ड.)	न्यायालयीन आदेश/ डिकी से संबंधित भुगतान	• उददे्श्य शीर्षः– # 53
(च)	शासन की ऐसी देयताएं, जहॉ निर्धारित तिथि को ही भुगतान होता है। (जैसे–ऋण भुगतान, ब्याज भुगतान एवं Annuity राशियां)	• मांग संख्या– . (Dot) • मांग संख्या–.. (Double Dot) • मांग संख्या–11, • मुख्य शीर्ष–4851 एवं 4875, योजना कंमाक –7341 एवं 7879 उद्देश्य शीर्ष –# 68 • मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2071 एवं 6075 योजना कमांक – 6787, 6788, 6842 मुख्य शीर्ष 7610 योजना कमांक 9084, 9085
(छ)	वैवेकिक अनुदान	• मांग संख्या–1, • मुख्य शीर्ष–2012 एवं 2013 उद्देश्य शीर्ष–# 44 योजना कं0–5839, 9060, 9064 एवं 9939 • मांग संख्या–24, मुख्य शीर्ष–5054, योजना कं.–6738 उद्देश्य शीर्ष–# 68

	व्यय का प्रकार	बजट शीर्ष
	स्वेच्छा अनुदान निधि (सांसद/विधायक)	• मांग संख्या–60, मुख्य शीर्ष–2515, योजना कं0–1954 एवं 5272, उद्देश्य शीर्ष–44 • मांग संख्या 28 योजना क्रमांक –4007
(ज)	स्थापना व्यय	• उद्देश्य शीर्ष– # 11,12,14,15,16,17,18,19,21,24,25,26 उद्देश्य शीर्ष–# 22 विस्तृत शीर्षः–001,002,004,005,006,007,008,009,010, 011 एवं 014
(झ)	वित्त विभाग के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित मुक्त श्रेणी के अन्य व्यय	• मांग संख्या –48 योजना क्रमांक 4406, 6818 • मांग संख्या–31 एवं 60 योजना क्रमांक –8284 • मांग संख्या –08 योजना क्रमांक 2617
(ण)	अन्य आवश्यक व्यय	• मांग संख्या 07 योजना कं0– 0123 उद्देश्य शीर्ष 34–001

परिशिष्ट–2

बजट अनुमान 2019–20 में प्रावधानित शेष आवंटन प्राप्त करने हेतु प्रपत्र

(राशि लाख में)

I

बजट शीर्ष	बजट प्रावधान	उपलब्ध आवंटन	पुनर्विनियोजन से वृद्धि / कमी	कुल उपलब्ध आवंटन (5=3+4)	अद्यतन व्यय	शेष उपलब्ध आवंटन (7=5-6)	अतिरिक्त आवश्यक राशि	आवश्यकता का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II कंडिका I में उल्लेखित आवश्यकता की पूर्ति पुनर्विनियोजन से किये जाने के संबंध में टीप दे ।

III यदि कंडिका I में उल्लेखित बजट शीर्ष केन्द्र समर्थित अथवा राज्य शासन से पृथक किसी अन्य एजेन्सी द्वारा समर्थित है, तो ऐसी सहायता राशि / केन्द्रांश प्राप्त होने की स्थिति की जानकारी दे ।

मासिक व्यय सीमा का निर्धारण

मासिक व्यय सीमा का निर्धारण निम्नानुसार गणना से किया जायेगाः–

(A)=	बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO) को वित्त विभाग द्वारा कटौत्री उपरांत उपलब्ध कराया गया कुल बजट आवंटन (मुख्य बजट तथा अनुपूरक बजट सहित)
(B)=	बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO) को उपलब्ध उपरोक्त बजट आवंटन में से **कंडिका 3 (ii)** अनुसार मुक्त श्रेणी के व्यय
(C)=	**कंडिका 4.4** के अनुसार विशेष व्यय सीमा (यदि कोई हों) हेतु उल्लेखित बजट शीर्षों, जिन्हें मासिक व्यय सीमा से छूट प्राप्त हो, का कुल आवंटन
(D)=	(A) - (B) - (C)
मासिक व्यय सीमा =	**उपरोक्त (D) का 10 प्रतिशत**

त्रैमासिक व्यय सीमा का निर्धारण

त्रैमासिक व्यय सीमा का निर्धारण निम्नानुसार गणना से किया जायेगा :–

(A)=	बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO) को वित्त विभाग द्वारा कटौत्री उपरांत उपलब्ध कराया गया कुल बजट आवंटन (मुख्य बजट तथा अनुपूरक बजट सहित)
(B)=	बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO) को उपलब्ध उपरोक्त बजट आवंटन में से **कंडिका 3 (ii)** अनुसार मुक्त श्रेणी के व्यय
(C)=	**कंडिका 4.4** के अनुसार विशेष व्यय सीमा (यदि कोई हों) हेतु उल्लिखित बजट शीर्षों, जिन्हें त्रैमासिक व्यय सीमा से छूट प्राप्त हो, का कुल आवंटन
(D)=	**(A)-(B)-(C)**

त्रैमासिक व्यय सीमा निम्नानुसार होगीः–

अवधि / त्रैमास	त्रैमासिक व्यय सीमा
Q1+Q2	उपरोक्त (D) का 45%
Q1+Q2+Q3	उपरोक्त (D) का 70%
Q4 (केवल)	उपरोक्त (D) का 30%

परिशिष्ट–5

निर्धारित विशेष व्यय सीमा (पूँजीगत)

(राशि रूपये करोड़ में)

क्र0	विभाग	मॉग एवं मुख्य शीर्ष	मासिक विशेष व्यय सीमा							
			अगस्त 2019	सितम्बर 2019	अक्टूबर 2019	नवंबर 2019	दिसंबर 2019	जनवरी 2020	फरवरी 2020	मार्च 2020
1	लोक निर्माण	**24,67**–4059,4216, 5054	580	580	580	580	580	580	580	580
2	जल संसाधन	**23,45**–4700,4701, 4702,4705,4711	450	450	450	450	450	450	450	450
3	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	**20**–4215	225	225	225	225	225	225	225	225
4	नर्मदा घाटी विकास	**48**–4700,4701,4801	275	275	275	275	275	275	275	275
5	नगरीय विकास एवं आवास	**22**–4216,4217	110	110	110	110	110	110	110	110
6	अनुसूचित जनजाति	**33**–4202,4225	100	100	100	100	100	100	100	100
7	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	**30**–4515 **53**–4217,4515	200	200	200	200	200	200	200	200
8	चिकित्सा शिक्षा	**52–4210**	100	100	100	100	100	100	100	100

नोट – यह विशेष व्यय सीमा ऊपर वर्णित मुख्य शीर्षो के अंतर्गत आने वाली सभी मदों के लिये है। यदि किसी विभाग को निर्धारित विशेष व्यय सीमा के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता हो तो वह पृथक से प्रस्ताव भेजे ।

परिशिष्ट–6

वित्त विभाग में प्रस्तुत किये जाने वाले आहरण अनुमति के प्रस्तावों के लिए निर्धारित प्रपत्र

क्रं0	विषय	विवरण
1	आहरण संवितरण अधिकारी का नाम (DDO) जिनके द्वारा आहरण किया जायेगा ।	
2	कोषालय का नाम जिसमें आहरण हेतु देयक प्रस्तुत किया जायेगा ।	
3	बजट प्रावधान, आवंटन, अद्यतन व्यय एवं शेष राशि	
4	यदि राशि आहरण कर बैंक खातें में रखी जावेगी तो योजनांतर्गत संचालित बैंक खातों की जानकारी (अंतिम शेष सहित)	
5	यदि राशि आहरण कर बैंक खातें में नहीं रखी जावेगी तो इस हेतु प्रमाण–पत्र दें ।	
6	अन्य	

नोट – आहरण अनुमति के प्रस्तावों के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति आदेशों की प्रति संलग्न की जाए ।